



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218788
CG-DL-E-19032020-218788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941

No. 03]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

रक्षा मंत्रालय

(सीमा सड़क विंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

का.नि.आ. 3(अ).—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम -9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के उपबंध (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में सीमा सड़क विंग, निम्नलिखित अशोधन करते हैं: भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, का.नि.आ. सं. 23 में दिनांक 29 मई, 2015 को प्रकाशित अर्थात्:—

(i) कथित अधिसूचना में, अनुसूची में क्रम संख्या 2 के बाद भाग II में और उससे संबंधित प्रवृत्तियों में निम्नलिखित समाविष्ट किया जाएगा अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2 (क)	अपर महानिदेशक सीमा सड़क रोड मुख्यालय (उत्तरी पश्चिम) के अराजपत्रित सभी समूह 'ख' पद	कमांडेंट जनरल, रिजर्व इंजीनियर फोर्स सेंटर	चीफ इंजीनियर (सिविल) या ब्रिगेडियर	सभी	अपर महानिदेशक सीमा सड़क (उत्तर पश्चिम)

(ii) क्रम सं. 2 के बाद भाग III में और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित समाविष्ट किया जायेगा अर्थात्

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2 (क)	अपर महानिदेशक सीमा सड़क रोड मुख्यालय (उत्तरी पश्चिम) के सभी समूह 'ग' पद	कमांडेंट जनरल, रिजर्व इंजीनियर फोर्स सेंटर	चीफ इंजीनियर (सिविल) या ब्रिगेडियर	सभी	अपर महानिदेशक सीमा सड़क (उत्तर पश्चिम)

[फा. सं. बीआरडीबी/13(53)/1999-जीई-II]

सतीश सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य नियमावली भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii), का.नि.आ. संख्याओं 23, दिनांक 29 मई, 2015 में प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF DEFENCE

(BORDER ROADS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2020

S.R.O. 3(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, Border Roads Wing, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide number S.R.O. 23, dated the 29th May, 2015, namely :-

In the said notification, in the SCHEDULE –

(i) in part II, after the Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2 (a)	All Group 'B' (Non-Gazetted) Posts in the Headquarters Additional Director General Border Roads (North West)	Commandant, General Reserve Engineer Force Centre	Chief Engineer (Civil) or Brigadier	All	Additional Director General Border Roads (North West)";

(ii) in part III, after the Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"2 (a)	All Group 'C' Posts in the Headquarters Additional Director General Border Roads (North West)	Commandant, General Reserve Engineer Force Centre	Chief Engineer (Civil) or Brigadier	All	Additional Director General Border Roads (North west)";

[F. No. BRDB/13(53)/1999-GE-II]

SATISH SINGH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.R.O. 23, dated the 29th May, 2015.